

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 24/02/2016

आदेश

मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में बढ़ते रोगीभार को कम करने के उद्देश्य से एतद्वारा निम्न शहरी चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया जाता है। इन चिकित्सालयों से संबंधित बजट नियंत्रण संबंधित मेडिकल कॉलेज का होगा एवं बजट प्रस्ताव प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे।


मेडिकल कॉलेज का नाम	नियंत्रणाधीन चिकित्सालय
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1. सेठी कॉलोनी, सैटेलाईट अस्पताल, जयपुर 2. कॉवटिया अस्पताल, जयपुर 3. बनीपार्क सैटेलाईट अस्पताल, जयपुर
एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1. जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर 2. महिला जिला अस्पताल, जोधपुर. 3. चौपासनी सैटेलाईट अस्पताल, जोधपुर 4. प्रतापनगर सैटेलाईट अस्पताल, जोधपुर


(मुकेश शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग।
- 7- मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर
- 8- अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर
- 9- प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 10- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राज.
- 11- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 12- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य जोन राजस्थान
- 13- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, राजस्थान
- 14- निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव